न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 01/2023

उमां शंकर चौधरी निवासी नारायणपुर पोस्ट हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 27.02.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आर्नलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5.11.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 टोंक जिले की टोडारायसिंह तहसील के गावों में ऐसे कितने गांव हे जिनमें स्थित श्मशान खातेदारी भूमि में स्थित है।

2 क्या प्रत्येक गांव में सरकार द्वारा श्मशान के लिए सार्वजनिक भूमि आंवटित कि जाती है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक/लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को पत्र कमांक 45—46 दिनांक 11.01.2023 व 119—120 दिनांक 31.1.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 505-06 दिनांक 6.02.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या 2 के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 504 दिनांक 06.02.2023 से सूचित किया गया है। तहसीलदार टोडारायसिंह को पुनः पत्र कमांक 242 दिनांक 13.02.2023 से बिन्दु संख्या 1 के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा आज दिनांक तक बिन्दू संख्या 1 का जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट बिन्दु संख्या 1 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध

जिला कलेक्टर
टोंक

करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक